

पत्रांक- विधि- 4/ परिपत्र भाग- 5/(2017-18)//

1774/118076// वाणिज्य कर ।  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० ।  
(विधि-अनुभाग)

दिनांकः लखनऊ : 29 दिसम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।


उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के नियम-45 के उप नियम-(7) के तृतीय परन्तुक में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 से सम्बंधित वार्षिक विवरणी (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-4/परिपत्र भाग-3/2016-17/ 1106/ वाणिज्य कर दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 से दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ायी गयी थी । माह दिसम्बर 2017 में जी०एस०टी० से संबन्धित निम्न रिटर्न दाखिल किये जाने की अन्तिम तिथियाँ भी है ।

क्र० सं०	रिटर्न का प्रारूप	माह का नाम	दाखिल करने की अन्तिम तिथि
1	जी०एस०टी०आर०-3बी	नवम्बर 2017	20-12-2017
2	जी०एस०टी०आर०-1 (ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर रु 1-5 करोड़ से अधिक है )	जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 2017	31-12-2017
3	जी०एस०टी०आर०-1, (ऐसे नॉन कम्पाउडिंग व्यापारी जिनका टर्नओवर रु 1-5 करोड़ से कम है )	जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2017	31-12-2017
4	जी०एस०टी० आर०-4, (समाधान योजना के व्यापारियों के लिए)	त्रैमास-जुलाई से सितम्बर 2017	24-12-2017

राज्य के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों में माह दिसम्बर 2017 में दाखिल किये जाने वाले जी०एस०टी० रिटर्न्स के कार्य के दृष्टिगत वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु समयावधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है । जोन स्तर से भी अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं कि अभी तक अपेक्षानुसार वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की गयी है ।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के नियम-45 के उप नियम-(7) के तृतीय परन्तुक में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 से सम्बंधित वार्षिक विवरणी (रूप पत्र 52, 52ए, 52बी) दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2018 निर्धारित की जाती है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समयसीमा अन्तिम रूप से बढ़ायी जा रही है ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए समस्त अधिवक्ता संघों तथा व्यापारिक संघों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

  
(मुकेश कुमार मिश्रा)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।